राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–63 (ला0सू0अ0) / 2023–24

डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा, 4 / ए, शकुन्तला गार्डेन, पुनाईचक, जिला–पटना

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
31.07.2023	डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा, 4 / ए, शकुन्तला गार्डेन, पुनाईचक, जिला–पटना के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–26.07.2023 इस कार्यालय में दिनांक–28.07.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–60F 388100 दिनांक--अप्राप्त संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–09.06.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम--2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा इसे स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–09.06.2023 की प्रति भी संलग्न है। संलग्न प्रपत्र 'क' के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रपत्र 'क' दिनांक–09.06.2023 के माध्यम से निम्नांकित सूचना की मांग (संक्षेप में की गयी है) की गयी है:– "बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा–35 (3) में प्रावधान है कि "Any appointment or promotion made contrary to the provisions of this Act, or Statues, Rules or Regulations made there under or made in irregular or unauthorized manner shall be invalid and shall be terminated at any time. The expenditure incurred by the University against such appointment or promotion shall be realized from the officer making such appointment or promotion as a public demand under the provisions of the Public Demands Recovery Act, 1914." उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के पत्रांक–14 / 1028 / 89–344 दिनांक–18.06.1990 के द्वारा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को तृतीय वर्गीय कर्मचारियों के पदों पर प्रोन्नति के संदर्भ में आवश्यक आदेश / निर्देश, भागलपुर विश्वविद्यालय सहित राज्य के अन्य सभी पारम्परिक विश्वविद्यालयों को दिया गया है। उक्त राज्यादेश में अंकित है कि "चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को तृतीय वर्गीय कर्मचारियों के पदों पर प्रोन्नति देने का कोई प्रावधान नहीं है। योग्यता प्राप्त चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को तृतीय वर्ग के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए कुछ पद सुरक्षित रखने का प्रावधान हैं"। इस संदर्भ में विशेष रूप से अंकनीय है कि तिलका मॉझी भागलपुर विश्वविद्यालय सहित राज्य के अन्य पारम्परिक विश्वविद्यालयों का, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किये जाने की अनुमति राज्य सरकार के द्वारा पहली बार राजकीय पत्रांक–1326 दिनांक–21.08.1995 के द्वारा प्रदान किया गया था। उक्त राजकीय परिपत्र के निर्गत होने के लगभग तीन माह राज्य सरकार के पूर्वानुमति के श्री सर्वानन्द प्रसाद की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर की गयी (अनुलग्नक संख्या–A)। इस क्रम में विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्रारम्भिक (Initial) नियुक्ति चतुर्थ वर्गीय पद पर किये जाने के पश्चात् इन्हें तृतीय वर्ग के पदों पर नियुक्ति / प्रोन्नति का लाभ भी दिया गया (अनुलग्नक संख्या B)। उल्लेखनीय है	

कि बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक–367 दिनांक–11.02.2006 के कार्यकारी अंश में अंकित किया गया है कि "सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग–3 एवं 4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधी ज्ञापांक–13293 दिनांक–05.10.1991 की कंडिका–9(क) में प्रावधान है कि अनुकम्पा के आधार पर किसी पद पर नियुक्ति होने पर पुनः उसे अनुकम्पा का दोबारा लाभ देते हुए उसकी प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा" (अनुलग्नक संख्या–C)। वर्णित राजकीय विर्णयों के प्रभावी रहने के बाद भी शिक्षा विभाग के वेतन निर्धारण कोषांग (PVC) के द्वारा चतुर्थवर्गीय माली के पद पर नियुक्त कर्मी को, तृतीय वर्ग पद के नियुक्ति/प्रोन्नति का लाभ सर्वप्रथम प्रदान किया गया। कालान्तर में विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा राज्यपाल सचिवालय द्वारा दिनांक–18.11.1980 को निर्गत सामान्य सेवा परिनियम में विहित प्रावधानों के विरूद्ध श्री सर्वानन्द के मामले में उन्हें प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नत करते हुए उक्त पद के वेतनमान में वेतनादि का भुगतान किया जा रहा है जबकि अन्य सदृश्य मामलों में इस प्रकार का लाभ अनुमान्य नहीं किया जा रहा है। मामले की संवेदनशीलता तथा गंभीरता को दृष्टिपथ में रखते हुए विनम्र अनुरोध है कि राज्य सरकार के द्वारा निर्गत राज्यादेशों तथा सेवा परिनियम में विहित प्रावधानों के विरूद्ध इस प्रकार का अवैध लाभ स्वीकृत/अनुमान्य किये जाने के समर्थन/पक्ष से संबंधित अगर कोई आदेश अथवा निर्णय राज्यपाल सचिवालय के द्वारा निर्गत किया गया हो तो उक्त आदेश की प्रति अथवा उसकी जानकारी, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों के अधीन उपलब्ध कराये जाने की कृपा की जाए"।

उपर्युक्त के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने सूचना की मांग न कर सूचना इस सचिवालय को दिया है तथा ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा जो कार्रवाई की गयी है उस संबंध में राज्यपाल सचिवालय द्वारा कोई सेवा परिनियम अथवा आदेश निर्गत किया गया हो तो उसे उपलब्ध कराया जाए।

विदित हो कि विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय से संबंधित कागजात/अभिलेख विश्वविद्यालय के स्तर पर ही संधारित होगा न की कुलाधिपति कार्यालय अथवा राज्यपाल सचिवालय में।

साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग बिहार द्वारा निर्गत ज्ञापांक–8/स.आ. 10–15/2010–2742 दिनांक–30.09.2010 के माध्यम से यह निदेश निर्गत है कि "सीमावर्ती सूचना के विषय के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचना का विषय से तात्पर्य अनुकंपा, प्रोन्नति, नियुक्ति, सुनिश्चित विकास योजना तथा अलग–अलग विषयों से है। यदि विभिन्न कंडिकाओं में ही मांगी सूचना का विषय एक ही है और एक ही लोक प्राधिकार से संबंधित हो तो सूचना आवेदक को उपलब्ध कराया जाए। भले ही सूचना एक ही अधिक क्यों न हों। उक्त स्पष्टीकरण में मांगी गयी सूचनाओं में शब्दों की सीमा 150 बनी रहेगी"। अपीलार्थी द्वारा मांगी सूचना 150 शब्दों से अधिक है।

अतः लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा प्रश्नगत मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत किये गए हस्तांतरण की कार्रवाई में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

सभी संबंधित को सूचित करें।

31/7/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह–
प्रथम अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक- 1213/रा॰स॰(III) दिनांक- 02-08-2023

प्रतिलिपिः- लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा, 4/ए, शकुन्तला गार्डेन, पुनाईचक, जिला-पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/8/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी